तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.Act Case No. 101/2024**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
27.03.2025	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी ओमप्रकाश पुत्र भवराराम जी जाट, निवासी– खुडीकला, तहसील– डेगाना, जिला– नागौर, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स महादेव आईसकैण्डी, रोहिडा रोड़, इन्द्रा कॉलोनी, स्वरुपगंज, तहसील–पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19–6–2024 को मैसर्स महादेव आईसकैण्डी, रोहिडा रोड़, इन्द्रा कॉलोनी, स्वरुपगंज, तहसील–पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता ओमप्रकाश पुत्र भवराराम जी जाट, निवासी– खुडीकला, तहसील– डेगाना, जिला– नागौर से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ लड़्डु कुल्फी (चीनी, कस्टर्ड रोज, एसेन्स, दूध से बनी) का नमूना संख्या S-2349, खाद्य विश्लेषक, जोधपुर के जांच रिपोर्ट क्रमांक **L.S./938/Act/2024/985** दिनांक 25.6. 2024 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर शास्ति (Penalty) अधिरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी अभियुक्त को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 26.03.2025 को प्रतिवादी ओमप्रकाश ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण के निस्तारण का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी ओमप्रकाश को सुना गया। प्रतिवादी ने अनुरोध किया कि उसका छोटा सा व्यापार है। उसने कोई मिलावट नही की है। अब ऐसी गलत नही करेगा। अतः कम से कम जुर्माना करके प्रकरण का निस्तारण करावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 19–06–2024 को समय 11–00 ए.एम. पर मैसर्स महादेव आईसकैण्डी, रोहिडा रोड़, इन्द्रा कॉलोनी, स्वरुपगंज, तहसील–पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी ओमप्रकाश पुत्र भवराराम जी जाट, निवासी– खुडीकला, तहसील– डेगाना, जिला– नागौर उपस्थित मिले। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स मैसर्स महादेव आईसकैण्डी, रोहिडा रोड़, इन्द्रा कॉलोनी, स्वरुपगंज की दुकान के निरीक्षण के दौरान मैसर्स मैसर्स महादेव आईसकैण्डी, रोहिडा रोड़, इन्द्रा कॉलोनी, स्वरुपगंज की दुकान में एक लोहे की कढाई में आमजन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ लड़्डु कुल्फी (चीनी, कस्टर्ड रोज, ...लगातार	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.Act Case No. 101/2024	नम्बर व तारीख ...
	एसेन्स, दूध से बनी) लगभग 6 किलोग्राम में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु क्रय करने की सूचना प्रतिवादी विक्रेता ओमप्रकाश को गवाह श्री चन्दनदास, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स मैसर्स महादेव आईसकैण्डी, रोहिडा रोड, इन्द्रा कॉलोनी, स्वरुपगंज की दुकान में लोहे की कढाई में रखे हुए खाद्य लड्डु कुल्फी (चीनी, कस्टर्ड रोज, एसेन्स, दूध से बनी) को हिलामिलाकर उसमें से 1600 ग्राम लड्डु कुल्फी (चीनी, कस्टर्ड रोज, एसेन्स, दूध से बनी) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु कीमतन क्रय किया एवं उसकी कीमत राशि रुपये 80/- (अक्षरे रुपये अस्सी मात्र) प्रतिवादी ओमप्रकाश को नकद अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खरीदशुदा लड्डु कुल्फी (चीनी, कस्टर्ड रोज, एसेन्स, दूध से बनी) को हिलामिला कर एकरुप करके प्रतिवादी विक्रेता ओमप्रकाश व गवाह के समक्ष चार साफ, सूखी एवं खाली शीशीयों में बराबर-बराबर मात्रा में भरा एवं प्रत्येक शीशी में फार्मेलीन की 40-40 बूंदे डालकर चारों शीशीयों को अलग अलग ढ़क्कन से एयरटाईट बन्द किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2349, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम लड्डु कुल्फी (चीनी, कस्टर्ड रोज, एसेन्स, दूध से बनी) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता ओमप्रकाश व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने हस्ताक्षर किये। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा लड्डु कुल्फी (चीनी, कस्टर्ड रोज, एसेन्स, दूध से बनी) की चारों नमूना शीशीयों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा चारों नमूना शीशीयों/भागों पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-2349 उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता ओमप्रकाश व गवाह के हस्ताक्षर कराये व श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की। इस मौका फर्द रिपोर्ट पर प्रतिवादी विक्रेता ओमप्रकाश पुत्र भवराराम जी जाट एवं गवाह तथा श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुए है। तत्पश्चात् श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग-अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 20-6-2024 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विश्वजीत सिंह, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ....लगातार	

न्यायालय सि० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

Scanned with OKEN Scanner

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.Act Case No. 101/2024	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 19–6–2024 को ही शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स मैसर्स महादेव आईसकैण्डी, रोहिडा रोड़, इन्द्रा कॉलोनी, स्वरुपगंज में प्रतिवादी विक्रेता ओमप्रकाश पुत्र भवराराम जी जाट से खाद्य पदार्थ लड्डु कुल्फी (चीनी, कस्टर्ड रोज, एसेन्स, दूध से बनी) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय किये गये खाद्य पदार्थ लड्डु कुल्फी (चीनी, कस्टर्ड रोज, एसेन्स, दूध से बनी) के नमूना संख्या S-2349 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से प्राप्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांकः **L.S./938/Act/2024/985** दिनांक 25.6.2024 में खाद्य पदार्थ लड्डु कुल्फी (चीनी, कस्टर्ड रोज, एसेन्स, दूध से बनी) का नमूना अमानक (sub-standard) पाया गया है। इस प्रकार, पत्रावली के अवलोकन से प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी ओमप्रकाश पुत्र भवराराम जी जाट, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स मैसर्स महादेव आईसकैण्डी, रोहिडा रोड़, इन्द्रा कॉलोनी, स्वरुपगंज द्वारा अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ लड्डु कुल्फी (चीनी, कस्टर्ड रोज, एसेन्स, दूध से बनी) (नमूना संख्या S-2349) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ लड्डु कुल्फी (चीनी, कस्टर्ड रोज, एसेन्स, दूध से बनी) (नमूना संख्या S-2349) के विक्रय हेतु प्रतिवादी ओमप्रकाश पुत्र भवराराम जी जाट, निवासी– खुडीकला, तहसील– डेगाना, जिला– नागौर, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स महादेव आईसकैण्डी, रोहिडा रोड, इन्द्रा कॉलोनी, स्वरुपगंज, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी ओमप्रकाश को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 30.4.2025 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.